संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A11-140 (1)/2017

प्रेषक,

रविनाथ रमन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक : 29 जून, 2017**

महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 1160 / SDSUV/Affi-2016-17 दिनांक 24.08.2016 एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या 18(6)09-A(TC) पर प्राप्त संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–6 की धारा–33 (1) के अधीन निम्न महाविद्यालय को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रम में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है।

क्र0सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	धर्मानन्द उनियाल राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)	**बी0ए0** (मॉस कम्युनिकेशन)	30 सीट	शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु

1. **महाविद्यालय को उक्त सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि महाविद्यालय के उक्त पाठ्यक्रम में मानकानुसार अपेक्षित शेष 01 फैकल्टी की नियुक्ति भी आवश्यक रूप से तत्काल सुनिश्चित की जाय।**
2. महाविद्यालय द्वारा अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
3. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय / शासन एवं कुलाधिपति के आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
4. पाठ्यक्रम में अग्रेत्तर अवधि विस्तारण हेतु सभी मानक पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात् ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी।

भवदीय,

(रविनाथ रमन)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 1117 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / A11-140 (1) / 2017 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2 निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
3 उच्च शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु ।
4 प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय।
5 कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
उपसचिव श्री राज्यपाल।